

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी 2016—पौष 29, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. 1210-22-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गईं.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्र. ११ सन् १९९०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.”;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द “संचालक, चिकित्सा सेवा (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज)” के स्थान पर, शब्द “आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश” स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“बुन्देलखण्ड चिकित्सा
महाविद्यालय, सागर.

बैचलर ऑफ मेडिसिन एन्ड
बैचलर ऑफ सर्जरी.

एम.बी.बी.एस.”

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. 1210-22-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 9 OF 2016

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th January, 2016.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990) (hereinafter referred to as the principal Act),-

Amendment of section 4.

(i) in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh.”;

(ii) in sub-section (2), for the words “Director of Medical Services”, the words “Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh” shall be substituted.

3. In Schedule to the principal Act, after the existing entries, the following entries shall be added, namely:-

Amendment of Schedule.

“Bundelkhad Medical College, Sagar.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.

M.B.B.S.”.